शुद्धि पत्र

संख्या-108/2023/691/23-9002(002)/09/2022

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-57/58 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-27 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 35 लघु सेतु परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र-52/नदी सेतु/वाराणसी क्षेत्र/सेतु-3/2023, दिनांक 12.01.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 23.12.2022 की तालिका के क्रमांक-29 पर अंकित "बेलवा बाजार में घोड़साल नाला पर पुलिया निर्माण कार्य" के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए उसके स्थान पर आगणन में अंकित नाम के आधार पर 'अम्बरपुर-बेलवा-जमुआ-टेकारी मार्ग के किमी0 1 मे घोड़सार नदी पर 4 सेल, 4×4 मी0 के बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य' करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-186/2022/आई0/1685/2022, दिनांक 23.12.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-57/58 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-27 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 35 लघु सेतु हेतु कुल लागत रू0 65,45,72,000 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष कुल रू0 39,78,00,000 की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 23.12.2022 में तालिका के क्रमांक-29 पर नाबार्ड की लघु सेतुओं की कार्ययोजना में अंकित नाम के आधार पर उक्त कार्य का नाम अंकित है जबकि आगणन में उक्त कार्य का नाम 'अम्बरपुर-बेलवा जमुआ-टेकारी मार्ग के किमी0 1 मे घोड़सार नदी पर 4 सेल, 4×4 मी0 के बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य' अंकित है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 23.12.2022 में उल्लिखित तालिका के क्रमांक-29 के 'बेलवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बाजार से घोड़साल नाला पर पुलिया के निर्माण कार्य' के स्थान पर 'अम्बरपुर-बेलवा-जमुआ-टेकारी मार्ग के किमी0 1 मे घोड़सार नदी पर 4 सेल, 4×4 मी0 के बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य' पढ़ा एवं समझा जाये। उक्त शासनादेश के शेष तथ्य व शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।

संख्या-उपरोक्त एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम(निर्माण), उ0प्र0,प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0,लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक),अनुभाग-2,उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।